न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–103/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00040)

1. बालू पुत्र कुशला, जाति रैगर, आयु––वर्ष निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील आमेर जिला जयपुर **(मृतक दौराने अपील)**

1/1. भंवरलाल रैगर पुत्र स्व. श्री बालू रैगर आयु 66 वर्ष,

1/2. भगवान सहाय रैगर पुत्र स्व. बालू रैगर, आयु 61 वर्ष,

1/3. रामस्वरूप रैगर पुत्र स्व. श्री बालू रैगर, आयु 49 वर्ष,

1/4. आनन्दी लाल रैगर पुत्र स्व. श्री बालू रैगर, आयु 43 वर्ष, समस्त जाति रैगर, निवासीयान ग्राम उदयपुरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

1/5. श्रीमती बरदी देवी पुत्री स्व. श्री बालू रैगर पत्नी श्री पूरणमल रैगर, आयु 57 वर्ष, जाति रैगर, निवासी खोरा बीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

1/6. श्रीमती गंगा देवी पुत्री स्व. श्री बालू रैगर, पत्नी श्री रमेश आयु 45 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील कार्यालय आमेर, जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, जवाहर लाल नेहरू मार्ग नजदीक इन्दिरा सर्किल, जयपुर महानगर, जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 01.05.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 05.02.2016 (प्रकरण संख्या 20/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की उनवानी बालू बनाम राजस्थान सरकार व अन्य अधीनस्थ के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम उदयपुरिया तहसील आमेर में स्थित आराजी कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 148/387 रकबा 5 बीघा जिला जयपुर में स्थित है, के हाल खसरा नम्बर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो बनाये गये है, वह खसरा नम्बर 430 रकबा 0.95 हैक्टयर वाके ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर है के गत साबिका राजस्व रिकार्ड में भूमि विवादग्रस्त का रकबा 5 बीघा चला आ रहा था सेटलमेन्ट विभाग ने पैमाईश के दौरान जो जमाबन्दी नही बनाई है तथा

में केवल मात्र 0.95 हैक्टयर का रकबा ही अंकित कर दिया गया, यह रकबा पूर्व राजस्व रिकार्ड से 0.30 हैक्टयर कम रकबा अंकित राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया है जो कि 0.30 हैक्टयर कम रकबा बना दिया गया है। उन्होने कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त जो पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम उदयपुरिया में अंकित चली आ रही थी, उक्त भूमि को नये ग्राम में अंकित करते हुये ग्राम जगन्नाथपुरा में अंकन कर राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा लगा दिया गया है बल्कि सेटलमेन्ट विभाग को पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही हाल जमाबन्दी बनाकर राजस्व कर्मचारियों को दिया जाना चाहिये था लेकिन सटेलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने घोर लापरवाही करते हुए गत राजस्व रिकार्ड से कम रकबे की खातेदारी अपीलार्थीगण के नाम अंकित कर दिया है, जो कि सेटलमेन्ट विभाग की यह कार्यवाही कानूनी प्रावधानों के कतई विपरित है तथा जिसकी कानूनी रूप से कोई अहमियत भी नही है, सैटलमेन्ट कार्य अब समाप्त हो चुका है तथा राजस्व रिकार्ड राजस्व कर्मचारियों को प्राप्त हो चुका है जिस कारण से सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रूप से अपीलार्थीगण के हक में कम रकबे का जो रिकार्ड कायम किया है उसको दुरूस्त करते हुऐ साबिक रकबे को हाल राजस्व रिकार्ड में पूर्ण रकबा किये जाने का अधिकार प्राप्त है, उक्त मूल प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो रकबा अपीलार्थीगण के नाम से अंकित किया उसको पूर्ण किया जाकर साबिक रिकार्ड के अनुसार अंकित किये जाने के आदेश फरमाये जावे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य साबित होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2016 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त साबिका खसरा नम्बर 148/387 में उक्त आराजी 5 बीघा दर्ज राजस्व रिकार्ड है जबकि उक्त गत खसरा नम्बर का नया खसरा नम्बर 430 रकबा 0.95 हैक्टयर है, जो वर्तमान रिकार्ड के ग्राम जगन्नाथपुरा में है मुताबिक मिलान क्षेत्रफल पुराने साबिका खसरा नम्बर 148/387 का रकबा 5 बीघा था किन्तु नये खसरा नम्बर 430 का रकबा 0.95 हैक्टयर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज किया गया इस प्रकार पुराने साबिका खसरा नम्बर 148/387 तथा नये हाल खसरा नम्बर 430 के रकबों में 0.30 हैक्टयर का फर्क है, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित वास्तविक विवाद व तथ्यों को समझे बिना ही शीघ्रता में अपना त्रुटिग्रस्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कानून के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध तथा विधि के आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त किया जाकर अपीलान्ट द्वारा वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को वाद दाखिल करने का सुझाव दिया है, जो कि विधि एवं प्रक्रिया विधि के स्पष्ट प्रावधानों के विपरित है जबकि [illegible] लिपिकीय त्रुटियों व सिल्प ऑफ

प्रावधानों के अन्तर्गत ही की जा सकती ह इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2016 को अपास्त किया जावें और मूल प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जो कम रकबा अपीलान्ट के नाम से अंकित किया जिसको पूर्ण किया जाकर पुराने रिकार्ड के अनुसार अंकित किये जाने की आज्ञा फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नही बताया कि उसकी आराजी का रकबा कम करके कौनसे खसरा नम्बर में लगाया गया है जब तक यह स्पष्ट नही हो तब तक अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चलने योग्य ही नही था तथा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की परिभाषा में नही आने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खारिज योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2016 में किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 से 2065 के अनुसार गत खसरा नम्बर 148/387 का रकबा 5 बीघा है, इसी प्रकार गत जमाबन्दियों में भी गत खसरा नम्बर 148/387 का रकबा 5 बीघा ही अंकित है जबकि उक्त खसरा मिलान क्षेत्रफल में हाल खसरा नम्बर 430 में रकबा 0.95 हैक्टयर ही अंकित किया गया है, एवं तहसीलदार आमेर के पत्रांक एल.आर./01/3514 दिनांक 13.09.2001 के अनुसार भी मुताबिक मिलान क्षेत्रफल पुराने साबिक खसरा नम्बर 148/387 का रकबा 5 बीघा था किन्तु नये खसरा नम्बर का रकबा 0.95 हैक्टयर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज किया गया है इस प्रकार पुराने साबिक खसरा नम्बर 148/387 तथा नये हाल खसरा नम्बर 430 के रकबा में 0.30 हैक्टयर का फर्क है, प्रकरण में संदर्भित वर्तमान नये खसरा नम्बर 430 रकबा 0.95 हैक्टयर हाल जमाबन्दी में बालू पुत्र कुशला कौम रैगर सा. देह के नाम दर्ज जो ग्राम जगन्नाथपुरा में स्थित है, प्रार्थना पत्र के अनुसार हाल नये खसरा नम्बर 430 का रकबा 1.25 हैक्टयर दुरूस्त किया जाना अपेक्षित है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट के पूर्वज के नाम दर्ज रिकार्ड में गत खसरा नम्बर 148/387 का रकबा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कम किया गया है जबकि दौराने सेटलमेन्ट भू प्रबन्ध विभाग को केवल पुरानी प्रविष्टियों को ही दौराने के अधिकार है तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के किसी किसी भी खातेदार की आराजी को कम या ज्यादा अंकित नही किया जा सकता है। उक्त गलती/त्रुटि दौराने सैटलमेन्ट की गई है जिसे अधीनस्थ

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2016 को निरस्त किया जाता है एवं अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार आमेर जिला जयपुर को निर्देर्शित किया जाता है कि अपीलान्ट के पूर्वज के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर हाल 430 का रकबा मय साबिक खसरा नम्बर 148/387 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.05.12019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।